HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IIIrd Bail Application No. 5789/2026
CNR: RJHC020300852026 | URN: CRLMB / 10352U / 2026

Sadhuram S/o Jiram, Aged About 70 Years, R/o 88, Ward No. 7, Nimbass, Buhana, District Jhunjhunu (Raj.). (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Narcotics Control Bureau, Through Special Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar
For Respondent(s)	:	Mr. Tejprakash Sharma SPP for NCB with Mr. Vaibhav Jhakra

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह **तृतीय** प्रार्थना–पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना एनसीबी जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या Viii(10)7/NCB/JPZU/2024 अपराध अंतर्गत धारा 8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.02.2025 को निरस्त किया गया था, उसके उपरांत अब सहअभियुक्त सदन किल्लो को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2026 को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा दो वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है। विचारण धीमी गति से चल रहा है। उनका तर्क है कि अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है तथा जहां अभियुक्त से बरामदगी नहीं हुई हो वहां धारा 37 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जैसा कि

न्यायिक विनिश्चय **शिंस बाबू–बनाम–केरला राज्य एवं अन्य विशेष अनुमति अपील याचिका संख्या 16642/2023** आदेश दिनांक 21.02.2024 में निर्णीत किया गया है। उनका तर्क है कि विचारण में 12 साक्षीगण में से केवल 4 साक्षीगण के ही कथन लेखबद्ध हुए हैं, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना–पत्र पूर्व में दो बार निरस्त हो चुका है। मामला मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा का होकर 30 किलो 640 ग्राम गांजे की बरामदगी से सम्बन्धित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का, अन्य सहभियुक्तगण जिनसे बरामदगी हुई है, से निरंतर संपर्क में होने का तथ्य पूर्व आदेशों में अंकित किया गया है। कॉल डिटेल में 68 बार वार्तालाप होने का तथ्य आया है। प्रकरण में विचारण तत्परता से किया जा रहा है तथा चार साक्षीगण परीक्षित हो चुके हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है तथा दो साक्षीगण तलब किए गए हैं। उनका तर्क है कि युक्तियुक्त समय में विचारण पूर्ण हो जाएगा। उनका यह भी तर्क है कि प्राथी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है जिसमें इसी प्रकृति का मामला भी पूर्व में दर्ज होना दर्शित है। उनका यह भी तर्क है कि व्यावसायिक मात्रा में बरामदशुदा मादक पदार्थ के मामले में अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

अपने तर्क के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किया है:–

पंजाब राज्य–बनाम–बलराज सिंह उर्फ बिल्ला

विशेष अनुमति याचिका संख्या 896/2026

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 8/20, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में 30 किलो 640 ग्राम गांजा सहअभियुक्तगण विकास कुमार एवं विकास लांबा के आधिपत्य से बरामद होना एवं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त व्यावसायिक मात्रा में बरामदशुदा मादक पदार्थ सहअभियुक्त विकास कुमार से खरीदना बताया है। प्रार्थी/

अभियुक्त की जिस मोबाइल नंबर पर 65 बार बातचीत हुई है, वह मोबाइल नंबर नरेश कुमार के नाम पर होना एवं नरेश कुमार द्वारा उक्त मोबाइल प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रयोग करना बताया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के लम्बित आपराधिक प्रकरणों में एक प्रकरण इसी प्रकृति का भी है। विचारण अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है, जिसमें चार साक्षीगण परीक्षित हो चुके हैं। अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थतियों में कोई परिवर्तन अभियुक्त के पक्ष में नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, बरामदशुदा गांजे की व्यावसायिक मात्रा एवं विचारण जारी रहने आदि के तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह तृतीय प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

2/AJAY KUMAR SINGHAL/712